फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ

केसरसिंह बनाम बादुदेवी

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 113 सन–2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
06.09.2018	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर जावे। वकील सायल को स्थगन पर सुना जाकर तहसीलदार नोहर को रोही मौजा खुईया के खसरा न0 282 की 5.1870हैक्, एवं खसरा न0 29[illegible] की 4.6110हैक् भूमि का मौका निरीक्षण हेतु मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है मौका कमीश्नर फिस 1500/–रू तय की जाती है जो सायल के द्वारा अदा की जावेगी पत्रावली दिनांक 23.10.18 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब .... पत्रावली दि0 27.11.18 को पेश हो।	
27/11/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब .... पत्रावली दि0 21.12.18 को पेश हो।	
21/12/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब R/o [illegible] .... पत्रावली दि0 21.1.19 को पेश हो।	
21.1.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब .... पत्रावली दि0 25.1.19 को पेश हो।	
25/1/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब .... पत्रावली दि0 22.2.19 को पेश हो।	
22.2.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त। प्रतिवादी से 1 ता 5 की वकील उप0 .... पत्रावली दि0 7.3.19 को पेश हो।	
7/3/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब मुख्यालय से बाहर .... पत्रावली दि0 29.3.19 को पेश हो।	
29.3.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् बी. ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। .... पत्रावली दि0 26.4.19 को पेश हो।	

Seet 156

26.4.19 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. साहब मु० से बाहर वकील साहबान उपलब्ध नहीं सायलान तलबी हेतु पत्रावली दि० 12.6.19 को पेश हो। MR

12.6.19 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। वकील सायलान उपलब्ध नहीं सायलान तलबी हेतु पत्रावली दि० 5.8.19 को पेश हो।

5-8-19 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. साहब अन्य कार्यों में और स्पेशल जॉब कार्य स्थगित पत्रावली दि० 13-9-19 पेश हो। MR

13/9/19 — मुलाहिजा फरीकैन उपस्थित गैर सायलान नं. 6 ता 8 फार्मल एमावर के बरसायल ने जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/10/19 को पेश हो।

14.10.19 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. साहब फरीकैन जवाब हेतु पत्रावली दि० 10.12.19 को पेश हो। MR

10/12/19 — मुलाहिजा फरीकैन उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने जवाब हेतु समय चाहा आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से जवाब देवें। अतः पत्रावली दि० 16/1/20 को पेश हो।

16.1.20 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। फरीकैन उपस्थित। जवाब हेतु पत्रावली दि० 2.3.20 को पेश हो। MR

2.3.20 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब मु० से बाहर वकुल हैं। फरीकैन उपस्थित। जवाब हेतु पत्रावली दि० 1.4.20 को पेश हो। MR

1.4.20 — पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में वायरस सुरक्षा के मद्देनजर जवाब हेतु पत्रावली दि० 29.5.20 को पेश हो। MR

Scanned with CamScanner

मुकदमा नं० 113 सन 2018 अनवान प्रेमसिंह बनाम बादुसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.5.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. साहब अन्य कार्यो मे व्यस्त है [illegible] जवाब हेतु पत्रावली दि० 18.8.20 को पेश हो। [illegible]	
18/8/20	वकुलाय कारिवन उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली जवाब ति. 2/12/2020 को पेश हो [illegible]	
2.12.20	वकुलाय फरीकैन उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दि० 26.2.21 को पेश हो। [illegible]	
26.2.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यो मे .... पत्रावली दि० 31.3.21 को पेश हो। [illegible]	
31/3/21	~~वकुलाय कारिवन उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब ति 11/6/21 को पेश हो~~ [illegible]	
17.6.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 26.8.21 को पेश हो। [illegible]	
26/8/21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 17/11/21 को पेश हो। [illegible] पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प खुईया 17/12/21 में पेश हो।	
17/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प खुईयां पेश हुई राजीनामा पेश नहीं उभयपक्ष उपस्थित नहीं पत्रावली दिनांक 06/04/22 को पेश हो। [illegible]	

मुकदमा नं0 सन् अनवान बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में जा
6/4/22	पत्रावली पक्षकारान उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली बाबत निर्णय दिनांक 5/5/22 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
5/5/22	पत्रावली पक्षकार उपस्थित। अभी मामले में निर्णय नहीं लिखा जा सका पत्रावली बाबत नि0 ति0 9/5/22 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
9/5/22	पत्रावली पक्षकार उपस्थित आज पत्र पत्रावली के मुताबिक उभयपक्षों को सुनकर आदेशानुसार निर्णय पारित किया गया व विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 113 सन 2018

अनवान :–

1. केसरसिह पुत्र भैरोसिह जाति राजपूत निवासी खूईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मानसिह पुत्र भैरोसिह जाति राजपूत निवासी खूईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायलान

बनाम

1. बादुदेवी पत्नी अमरसिह जाति राजपूत साकिन खूईया तहसील नोहर।
2. नारायणसिह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत साकिन खूईया तहसील नोहर।
3. श्रवणसिह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत साकिन खूईया तहसील नोहर।
4. मोतीसिह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत साकिन खूईया तहसील नोहर।
5. राजूसिह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत साकिन खूईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. एस.बी.आई. बैक गोरखाना तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल –1

निर्णय दिनांक :– 09/05/2012

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान के पिता भैरोसिह व सायलान की चाची राधादेवी तरफ से एक वाद संख्या 123/2018 अनवानी राधा आदि बनाम उदयसिह आदि इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था उक्त दावा में गैरसायलान पति --पिता अमरसिह ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि 282 की 20.10 बीधा प्रतिवादीगण की सन 1969 में खरीदशुद्वा है तथा काउन्टर क्लेम दिनांक 05.10.1988 को डिक्री कर यिा गया था उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 27/1999 अनवानी राधादेवी बनाम उदयसिह पेश की गई जो स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा गया अर्थात वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 282 की 20.10 बीधा यानि 5.1870हैक्‍ भूमि रोही मौजा खूईया के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है।

राधादेवी पत्नी रामसिह का देहान्त दिनांक 26.05.2002 को हो चुका है मृतक राधादेवी पत्नी रामसिह के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने के कारण उसके पति रामसिह के भाई भैरोसिह के लडके /लडकिया यानि सायलान न0 1 ,2 एव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 1 रामसिह व उसकी पत्नी राधादेवी के नजदीकी वारिस होने के कारण हिन्दु उताधिकार अधिनियम के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के वारिस है तथा राधादेवी पत्नी रामसिह के स्थान पर खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 276/252 के खसरा न0 189 की 5.3380हैक्‍ खसरा न0 282 की 5.1870हैक्‍ कुल 10.5250हैक्‍ में मृतक राधा की जगह सायलान संख्या 1 ,2 एव दावा मे तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार खाता संख्या 277/254 के खसरा न0 292 की 14.6110हैक्‍ में मृतक राधा के नाम दर्ज 373–1/2 हिस्सा के सायलान संख्या 1 ,2 एव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 बहिब खातेदार काश्तकार है। तथा खसरा न0 282 की 5.1870हैक्‍ मुताबिक निर्णय दिनांक 05.10.1988 तथा निर्णय दिनांक 22.10. 2001 व बैयनामा दिनांक 29.04.1969 के आधार पर उक्त खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्‍ भूमि के गैरसायलान संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि सायलान संख्या 1 ,2 दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नही है तथा खाता संख्या 277/264 के खसरा न0 292 की 14.6110हैक्‍ रोही मौजा खुईया में गैरसायल संख्या 1 के 51 हिस्सा व गैरसायल संख्या 2 ता 5 के 357 हिस्सा गलत तौर से दर्ज है उक्त भूमि खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक्‍ भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 5 का कोई हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हिस्सा नही है उक्त भूमि सायलान संख्या 1 ,2 एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 189 की 5.3380हैक्ट व अराजी खसरा संख्या 292 की 14.6110 हैक्ट में से 373–1/2 हिस्सा रोही मोजा खुईया मृतका राधादेवी पत्नी स्व रामसिह के नाम दर्ज भूमि के सायलान संख्या 1 ,2 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 छहो बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा मृतक राधा की जाति राजपूत की जगह दरोगा गलत दर्ज है जिसे सायलान संशोधन करवाने के अधिकारी है तथा खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक्ट रोही मौजा खुईया में गैरसायल संख्या 1 के नाम 51 हिस्सा गलत दर्ज है तथा गेरसायल संख्या 2 ता 5 के नाम 357 हिस्सा गलत दर्ज है उक्त खसरा 292 में गैरसायल संख्या 1 ता 5 का नाम दर्ज भूमि से कोई सरोकार नही है उक्त 408 हिस्सा के सायलान संख्या 1 , 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 बहिब के खातेदार काश्तकार है जमाबन्दी संशोधन करवाने के अधिकारी है।

साहवा लिफ्ट खण्ड प्रथम इन्दा गाधी नहर परियोजना द्वारा चक न0 1 केएचएनए सामुदायिक सिचाई डिग्गी का निर्माण भी खसरा न0 282 मे किया जा चुका है जिनकी भूमि अवाप्ति राशि लाखो मे है तथा गैरसायल गलत तरीके से उठाना चाहते है तथा खसरा संख्या 282 मे राजुसिह पुत्र अमरसिह ने 1.386हैक्ट स्वय की बताकर पूर्व में अस्थाई सिचाई व्यवस्था में चक 2 केएचएम मे सिचाई डिग्गी का निर्माण कर कृषि अनुदान भी प्राप्त किया है जिसकी वसूली राशि खजाना राज में जमा करवाई जाकर निर्णय तक उक्त राशि असल हकदार को दी जावे खसरा न0 292 जो गैरसायल के कब्जा में नही है उस पर केसीसी लेकर दोहरा लाभ उठाया है ।

बैयनामा के आधार पर भूमि का नामान्तकरण तस्दीक का दायित्व खरीददार का होता है उसकी अवधि 12 वर्ष की होती है जो कि खरीददाता ने आज तक बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही करवाने की कार्यवाह नही की है इसलिये बेयनामा खारीज किये जाने योग्य है।

गैरसायल संख्या 1 ता 5 लालचवंश दोहरा लाभ प्राप्त करना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है उनके खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये सायलान गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्ट में बनाई गई सरकारी डिग्गी को आवाप्ति राशि ना उठाये तथा खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक्ट भूमि का गलत तौर मुआवजा ना उठाने हेतु पाबन्द किया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान संख्या 1 ता 4 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु जबाब पेश नही किया गया गैरसायल संख्या 5 की ओर से मदन मोहन अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

भैरासिह एवं राधा के द्वारा वाद संख्या 123/1984 में दर्ज हुआ था जो जिसमें गैरसायलान के मौरूसान अमरसिह ने गैरसायल संख्या 2 द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जाकर रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 की 20.10 बीघा भूमि गैरसायलान की सन 1969 से खरीदशुद्दा है तथा उक्त काउन्टर क्लेम दिनांक 05.10.1988 को डिक्री किया गया था राधा व भैरूसिह का दावा खारीज किया गया था तथा खसरा संख्या 282 की 20.10 बीघा भूमि यानी 5.1870हैक्ट भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया था जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 276/252 के खसरा संख्या 189 की 5.3380हैक्ट व खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्ट भूमि सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के खातेदार काश्तकार किसी कदर नही है सायलान खसरा संख्या 282 का मीन गैरसयालान को खातेदार काश्तकार रहा है विरोधाभाषी है खसरा संख्या 282 की 14.6110हैक्ट रोही मोजा खुईया में मृतक राधा के नाम दर्ज 373–1/2 हिस्सा के सायलान 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 किसी तरह के खातेदार काश्तकार नही है सायलान किसी आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज नही है खसर संख्या 282 की 5.1870हैक्ट भूमि मुताबिक निर्णय दिनांक 05.10.1988 तथा निर्णय दिनांक 22. 10.2001 व बैयनामा दिनांक 29.04.1969 के आधार पर खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्ट भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायलान संख्या 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है परन्तु रिकार्ड में गैरसायलान संख्या 5 व राधा पत्नी रामलाल का खसरा न0 282 से नाम कलमजन करवाकर मिन गैरसायलान उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है खसरा संख्या 292 की भूमि सायलान की कैसे है दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नही है।

रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 में सिवाई डिग्गी का निर्माण भी किया जा चुका है जबकि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 उक्त भूमि के खातेदार काश्कार सायलान स्वय स्वीकार करते है तो सायलान अनुदान मुआवजा पाने के अधिकारी नही है सायलान अनुदान मुआवजा लेने से वंचित करवाने के अधिकारी नही है।

बैयनामा संन 1969 के बाद न्यायालय हाजा से दिनांक 05.10.1988 द्वारा उसकी बैयनामें के आधार पर निर्णय हो चुका है तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से दिनांक 22.10.2001 को भी निर्णय हो चुका है जो मिन गैरसायला संख्या 1 ता 5 के पक्ष में हुआ है सायलान बैयनामा को खारीज करवा पाने के अधिकारी नही है बैयनामा खारीज करवाने का अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है गैरसायला संख्या 1 ता 5 न्यायालय हाजा से प्राप्त डिक्री के आधार पर खसरा संख्या 282 के खातेदार काश्तकार है सायलान वाद भूमि में किसी श्रेणी के खातेदार काश्तकार नही है जिन्हे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है।

गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के नाम खसरा संख्या 282 में 408 हिस्सा, रोही मौजा खुईया सही तौर से दर्ज है तथा खसरा संख्या 282 व 292 के मिन गैरसायलान संख्या 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है सायलान ने लालचवंश वाद भूमि हडप करने की नियम से वाद पेश किया गया है सायलान का वाद भूमि पर कब्जा नही है कब्जा के अभाव में भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है मिन गैरसायलान संख्या 1 ता 5 को अनुदान/मुआवजा लेने से प्रतिबान्धित करवा पाने के अधिकारी नही है इसलिय गैरसायला संख्या 1 ता 5 के विरूद्व अस्थाई निषेाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नही है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायलान के पिता भैरोसिह व सायलान की चाची राधादेवी तरफ से एक वाद संख्या 123/2018 अनवानी राधा आदि बनाम उदयसिह आदि इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था उक्त दावा में गैरसायलान पति –पिता अमरसिह ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि 282 की 20.10 बीघा प्रतिवादीगण की सन 1969 में खरीदशुद्वा है तथा काउन्टर क्लेम दिनांक 05.10.1988 को डिक्री कर यि गया था उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 27/1999 अनवानी राधादेवी बनाम उदयसिह पेश की गई जो स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा गया अर्थात वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 282 की 20.10 बीघा यानि 5.1870हैक्ट भूमि रोही मौजा खूईया के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है।

राधादेवी पत्नी रामसिह का देहान्त दिनांक 26.05.2002 को हो चुका है मृतक राधादेवी पत्नी रामसिह के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने के कारण उसके पति रामसिह के भाई भैरोसिह के लडके /लडकिया यानि सायलान न0 1 ,2 एव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 1 रामसिह व उसकी पत्नी राधादेवी के नजदीकी वारिस होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के वारिस है तथा राधादेवी पत्नी रामसिह के स्थान पर खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 276/252 के खसरा न0 189 की 5.3380हैक्ट खसरा न0 282 की 5.1870हैक्ट कुल 10.5250हैक्ट में मृतक राधा की जगह सायलान संख्या 1 ,2 एव दावा मे तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार खाता संख्या 277/254 के खसरा न0 292 की 14.6110हैक्ट में मृतक राधा के नाम दर्ज 373–1/2 हिस्सा के सायलान संख्या 1 ,2 एव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 बहिब खातेदार काश्तकार है। तथा खसरा न0 282 की 5.1870हैक्ट मुताबिक निर्णय दिनांक 05.10.1988 तथा निर्णय दिनांक 22.10. 2001 व बैयनामा दिनांक 29.04.1969 के आधार पर उक्त खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्ट भूमि के गैरसायलान संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि सायलान संख्या 1 ,2 दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नही है तथा खाता संख्या 277/264 के खसरा न0 292 की 14.6110हैक्ट रोही मौजा खुईया में गैरसायल संख्या 1 के 51 हिस्सा व गैरसायल संख्या 2 ता 5 के 357 हिस्सा गलत तौर से दर्ज है

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 5 का कोई हक हिस्सा नही है उक्त भूमि सायलान संख्या 1 ,2 एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 189 की 5.3380हैक व अराजी खसरा संख्या 292 की 14.6110 हैक में से 373–1/2 हिस्सा रोही मोजा खुईया मृतक राधादेवी पत्नी स्व रामसिह के नाम दर्ज भूमि के सायलान संख्या 1 ,2 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 छहो बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा मृतक राधा की जाति राजपूत की जगह दरोगा गलत दर्ज है जिसे सायलान संशोधन करवाने के अधिकारी है तथा खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक रोही मौजा खूईया में गैरसायल संख्या 1 के नाम 51 हिस्सा गलत दर्ज है तथा गेरसायल संख्या 2 ता 5 के नाम 357 हिस्सा गलत दर्ज है उक्त खसरा 292 में गैरसायल संख्या 1 ता 5 का नाम दर्ज भूमि से कोई सरोकार नही है उक्त 408 हिस्सा के सायलान संख्या 1 , 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 बहिब के खातेदार काश्तकार है जमाबन्दी संशोधन करवाने के अधिकारी है।

साहवा लिफ्ट खण्ड प्रथम इन्द्रा गाधी नहर परियोजना द्वारा चक न0 1 केएचएनए सामुदायिक सिचाई डिग्गी का निर्माण भी खसरा न0 282 में किया जा चुका है जिनकी भूमि अवाप्ति राशि लाखो में है तथा गैरसायल गलत तरीके से उठाना चाहते है तथा खसरा संख्या 282 में राजुसिह पुत्र अमरसिह ने 1.386हैक स्वय की बताकर पूर्व में अस्थाई सिचाई व्यवस्था में चक 2 केएचएम में सिचाई डिग्गी का निर्माण कर कृषि अनुदान भी प्राप्त किया है जिसकी वसूली राशि खजाना राज में जमा करवाई जाकर निर्णय तक उक्त राशि असल हकदार को दी जावे खसरा न0 292 जो गैरसायल के कब्जा में नही है उस पर केसीसी लेकर दोहरा लाभ उठाया है ।

बैयनामा के आधार पर भूमि का नामान्तकरण तस्दीक का दायित्व खरीददार का होता है उसकी अवधि 12 वर्ष की होती है जो कि खरीददाता ने आज तक बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक नही करवाने की कार्यवाह नही की है इसलिये बेयनामा खारीज किये जाने योग्य है।

गैरसायल संख्या 1 ता 5 लालचवंश दोहरा लाभ प्राप्त करना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो साायलान को अपूर्णीय क्षति होती है उनके खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये सायलान गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की भैरासिह एवं राधा के द्वारा वाद संख्या 123/1984 में दर्ज हुआ था जो जिसमें गैरसायलान के मौरूसान अमरसिह ने गैरसायल संख्या 2 द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जाकर रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 की 20.10 बीधा भूमि गैरसायलान की सन 1969 से खरीदशुद्वा है तथा उक्त काउन्टर क्लेम दिनांक 05.10. 1988 को डिक्री किया गया था राधा व भैरूसिह का दावा खारीज किया गया था तथा खसरा संख्या 282 की 20.10 बीधा भूमि यानी 5.1870हैक भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया था जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 276/252 के खसरा संख्या 189 की 5.3380हैक व खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक भूमि सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के खातेदार काश्तकार किसी कदर नही है सायलान खसरा संख्या 282 का मीन गैरसयालान को खातेदार काश्तकार रहा है विरोधाभाषी है खसरा संख्या 282 की 14.6110हैक रोही मोजा खुईया में मृतक राधा के नाम दर्ज 373–1/2 हिस्सा के सायलान 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 किसी तरह के खातेदार काश्तकार नही है सायलान किसी आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज नही है खसर संख्या 282 की 5.1870हैक भूमि मुताबिक निर्णय दिनांक 05.10.1988 तथा निर्णय दिनांक 22. 10.2001 व बैयनामा दिनांक 29.04.1969 के आधार पर खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक भूमि के गैरसायलान संख्या 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है परन्तु रिकार्ड में गैरसायलान संख्या 5 व राधा पत्नी रामलाल का खसरा न0 282 से नाम कलमजन करवाकर मिन गैरसायलान उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है खसरा संख्या 292 की भूमि सायलान की कैसे है दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नही है।

रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 में सिवाई डिग्गी का निर्माण भी किया जा चुका है जबकि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 उक्त भूमि के खातेदार काश्कार सायलान स्वय स्वीकार करते

उपखण्ड अधिकारी (सिवाई)
भोड़ार (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

है तो सायलान अनुदान मुआवजा पाने के अधिकारी नही है सायलान अनुदान मुआवजा लेने से वंचित करवाने के अधिकारी नही है।

बैयनामा संन 1969 के बाद न्यायालय हाजा से दिनांक 05.10.1988 द्वारा उसकी बैयनामें के आधार पर निर्णय हो चुका है तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से दिनांक 22.10.2001 को भी निर्णय हो चुका है जो मिन गैरसायला संख्या 1 ता 5 के पक्ष में हुआ है सायलान बैयनामा को खारीज करवा पाने के अधिकारी नही है बैयनामा खारीज करवाने का अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है गैरसायला संख्या 1 ता 5 न्यायालय हाजा से प्राप्त डिक्री के आधार पर खसरा संख्या 282 के खातेदार काश्तकार है सायलान वाद भूमि में किसी श्रेणी के खातेदार काश्तकार नही है जिन्हे प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है।

गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के नाम खसरा संख्या 282 में 408 हिस्सा, रोही मौजा खुईया सही तौर से दर्ज है तथा खसरा संख्या 282 व 292 के मिन गैरसायलान संख्या 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है सायलान ने लालचवंश वाद भूमि हडप करने की नियम से वाद पेश किया गया है सायलान का वाद भूमि पर कब्जा नही है कब्जा के अभाव में भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है मिन गैरसायलान संख्या 1 ता 5 को अनुदान/मुआवजा लेने से प्रतिबान्धित करवा पाने के अधिकारी नही है इसलिय गैरसायला संख्या 1 ता 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नही है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया

यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की मृतक राधा पत्नी रामसिह के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान कौन है एवं रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 189 की 5.3380हैक्ट खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्ट एवं खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक्ट भूमि में से सायलान संख्या 1 ,2 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 तथा गैरसायलान संख्या 1 ता 5 कितनी कितनी भूमि पाने के अधिकारी है तथा वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में पारित किये गये निर्णय का हस्तगत वाद पर क्या प्रभाव है तथा बैयनामा दिनांक 29.04.1969 जो साबिका खसरो में किया गया था का हाल खसरा सख्या क्या बना है एवं पूर्व में पारित निर्णय का बैयनामा की भूमि पर क्या प्रभाव है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड में वाद भूमि रोही मोजा खूईया के खाता संख्या 270/252 के खसरा संख्या 189 की 5.3380हैक्ट , खसरा संख्या 282 की 5.1870हैक्ट कुल 10.5250हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 277/254 के खसरा संख्या 292 की 14.6110हैक्ट भूमि राधा पत्नी रामसिह, अमरसिह पुत्र भैरोसिह , बलवीरसिह पुत्र भैरूसिह एव अन्य सहखातेदारों के नाम मुश्तरका खाते मे दर्ज है।

उक्त भूमि के सम्बध में भैरूसिह एवं राधा के द्वारा एक वाद संख्या 123/1984 अनवानी राधादेवी बनाम उदयसिह प्रस्तुत किया गया था जो वाद सुनवाई दिनांक 05.10.1988 को निर्णय पारित किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर बैयनामा में अंकित भूमि रोही मोजा खुईया के खसरा संख्या 282 की 20.10 बीघा का अमरसिह को खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में होने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.10.2001 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 05.10.1988 को यथावत रखा गया था अर्थात अमरसिह को रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 की 20.10 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार होना बहाल रखा गया था।

अमरसिह पुत्र मुकनसिह जाति राजपूत उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 05.10.1988 के अनुसार भैरूसिह एवं राधादेवी के नाम दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु अमरसिह पुत्र मुकनसिह या उनके वारिसान ने उक्त निर्णयों की पालना में राजस्व रिकार्ड मे अकन करवाया जाना प्रतीत नही होता है क्योकि भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में अमरसिह या उनके वारिसान गेरसायलान के नाम से दर्ज नही है जबकि निर्णय दिनांक 05.10.1988 का है अर्थात 12 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

सायलान एव गैरसायलान ने ऐसा कोई भी साक्ष्य /राजस्व रिकॉर्ड पेश नही किया गया जिससे पूर्व में पारित किये गये निर्णय का अमल राजस्व रिकार्ड में हुआ हो

पूर्व में पारित निर्णयों के अनुसार रोही मौजा खुईया के खसरा न0 282 की 20.10 बीघा भूमि में बैयनामा के आधार पर गैरसायलान के पूर्वज अमरसिह पुत्र मुकनसिह को भेरूसिह एव राधादेवी का नाम कलमजन किया जाकर खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था शेष खसरो के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्बध में कोई भी आदेश अंकित नही है क्या रोही मौजा खूईया के खसरा संख्या 292 की 14.6110हैव एवं खसरा संख्या 189 की 5.3380हैव में अमरसिह या उनके वारिसान का कोई हक हिस्सा नही है क्या इन खसरो से गैरसायलान का नाम कलमजन किया जाना है यह सभी तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगे।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 189 की 5.3380हैव खसरा संख्या 282 की 5.1870हैव एवं खसरा संख्या 292 की 14.6110हैव सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वजों के नाम अन्य सहखातेदारो के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि के सम्बध में पूर्व में पारित निर्णयो के अनुसार रोही मौजा खुईया के खसरा संख्या 282 की 20.10 बीघा यानी 5.1870हैव भूमि को भैरूसिह व राधादेवी के नाम से कलमजन किया जाकर अमरसिह या उनके वारिसान के नाम दर्ज की जाकर शेष भूमि से अमरसिह का नाम कलमजन किया जाना है या अन्य खसरों में अमरसिह का नाम यथावत रखा जाकर खसरा नम्बर 292 की 5.1870हैव भूमि दर्ज की जानी है यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकते है।

उभयपक्षो का मुख्य विवाद वाद भूमि के खसरा संख्या 282 ,292 में बनाई गई डिग्गी का अनुदान/मुआवजा आदि के सम्बध में है।

उक्त भूमि का मुआवजा राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जानी है राज्य सरकार के राजस्व सही खातेदार को ही प्राप्त हो यह भी सुनिश्चित किया जाना न्यायालय आवश्यक समझता है इसलिये जब तक वाद भूमि के सम्बध में यह तय नही हो जाता की वाद भूमि में कौनसे खसरे की भूमि का कौन हकदार है एवं राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नही हो जाता तक तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायालय उचित समझता है ताकि राज्य सरकार की राशि का दुरूपयोग ना हो सके।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त में वर्णित भूमि में कोन कितनी भूमि का हकदार है वाद में साक्ष्य /सबुतो/तनकीयात के आधार पर तय नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार राज्यहको को सुरक्षित रखने के लिये उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 276/252 के खसरा न0 189 की 5.3380हैव खसरा न0 282 की 5.1870हैव कुल 10.5250हैव एवं खाता संख्या 277/254 के खसरा नम्बर 292 की 14.6110हैव भूमि की रिकार्ड की यथास्थित वाद के निस्तारण तक बनाई रखी जावे। सायलान एवं गैरसायलान के अलावा अन्य सहखातेदारो पर यह स्थगन ओदश लागू नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner